

# Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

बनाम वकील प्रार्थी  
 किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त धारा 212

प्रकरण नं. 147 सन् 19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिजिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
13/8/19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित ।                      वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम <u>1919</u> के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>6/9/19</u> को पेश हो।</p>	
6/9/19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित ।                      आज वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पत्रावली पेश की गई जिसमें लिखा गया है।                      अतः पेशी इत्यादि पत्रावली दिनांक <u>13/8/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड परिचरद्वय भा.ज.</b></p>	
17/9/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली/पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा Not Press करने हेतु लिखित निवेदन मध्य रिपोर्ट की है। वकील प्रार्थी के निवेदन को खीकार किया जाकर जो पत्र को वकील प्रार्थी की जहमत के आधार पर Not Press में खारीज की जाती है। पिछले कसब खबर होकर नागर के भी है।                      निरीय कर इत्यादि आज दिनांक 17/9/19 को लुनाभा उभा</p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक सहायक अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Not Press</b> <b>दखल</b></p>

